न्यायालय श्री

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकामात जो हुक्म की तामील में जारी हुए
1/9/25	वकील प्रार्थी उप०। सीमाज्ञान की रिपोर्ट पेश हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15/9/25 को पेश हो।	
15/9/25	वकील प्रार्थी उप०। सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश नहीं की गई। सीमाज्ञान होना नहीं बताया गया। जवाब पेरोकार सरकार प्राप्त हुआ। वकील प्रार्थी स्वयं सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश करे। पेश नहीं करने की दशा में बहस करे। पत्रावली वास्ते पेश करने सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं बहस दि. 23/9/25 को पेश हो।	
23/9/25	वकील प्रार्थी उप०। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 29/9/2025 को पेश हो।	
29/9/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में ... अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली सामान्य कार्यवाही हेतु दिनांक 1/10/25 को पेश हो।	
1/10/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा० पत्र प्रार्थिया सीमाज्ञान के अभाव में एवं वाद कारण स्पष्ट नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
406/प्रा0पत्र/2025	10.07.2025	01.10.2025

जसकरण कौर उम्र 69 वर्ष पत्नी श्री गुरूपाल सिंह जाति स्वर्णकार सिक्ख निवासी 3घ7 विज्ञान नगर कोटा हाल निवासी 3घ 34 विज्ञान नगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री भागचन्द मालव
अधिवक्ता अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल. आर. एक्ट.

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर. एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 1438/1061 रकबा 0.1457 हैक्टेयर वाके ग्राम अकतासा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जो वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है उपरोक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थीया उपरोक्त आराजी पर तारबन्दी करवाना चाहते है। जिसके लिए उक्त भूमि का औपचारिक रूप से सीमाज्ञान जीपीएस सिस्टम द्वारा करवाया गया था उक्त सीमाज्ञान से प्रार्थिया सन्तुष्ट नही है क्योंकि प्रार्थी की भूमि का औपचारिक रूप से सीमाज्ञान किया गया है इसलिए प्रार्थीया की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी तहसीलदार तालेड़ा से करवाई जाने बाबत आदेशित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी आधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 1438/1061 रकबा 0.1457 हैक्टेयर वाके ग्राम अकतासा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान की मौके पर पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार तालेडा को दिये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 2852 दिनांक 11.07.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद वर्णित आराजी मौके पर खाली पडी है भूमि पर बबूल के पेड उगे हुए है। आस–पास के खेतो में मक्का व चावल की फसल बुवाई कर रखी है। वर्तमान में बारिश हो जाने से जरीब चलाकर पत्थरगढी किया जाना सम्भव नही है।

पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि भूमि ख0सं0 1438/1061 रकबा 0.1457 हैक्टे. वाके ग्राम अकतासा का सीमाज्ञान नही हुआ है। सीमाज्ञान के अभाव में वाद खारिज किया जाना उचित होगा।

प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं. नया 103 पुराना 92 वाके ग्राम अकतासा संवत 2076, भू–नक्शा ख0स0 1438/1061, आधार कार्ड सं. 815794415759 एवं जीपीएस का नक्शा पेश किया ।

प्रार्थिया से सीमाज्ञान की रिपोर्ट चाहे जाने पर सीमाज्ञान की रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई।

बहस उभयपक्ष सूनी गई। वकील प्रार्थिया द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थिया की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करने का निवेदन किया गया। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन

Scanned with OKEN Scanner

किया कि रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार वाद वर्णित आराजी खाली पडी है एवं जमीन पर बबूल उगे हुए है। प्रार्थिया द्वारा अपनी भूमि की सीमाज्ञान की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान के अभाव में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत नही होता।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थिया ने भूमि का सीमाज्ञान नहीं करवाकर सीधे पत्थरगढी हेतु आवेदन किया गया है जो उचित नहीं है। प्रार्थिया को प्रथम दृष्टया सीमाज्ञान करवाकर तत्पश्चात पत्थरगढी हेतु आवेदन किया जाना था। सीमाज्ञान के अभाव में प्रार्थिया क्यो पत्थरगढी करवाना चाहती है। वाद कारण स्पष्ट नहीं होने से पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया सीमाज्ञान रिपोर्ट के अभाव में एवं वाद कारण स्पष्ट नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner